

16.08.2024: पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण गुरनायब सिंह, गुरसाहिब सिंह एवं अप्रार्थी दर्शन सिंह स्वयं उपस्थित आए। अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य में आपस में राजीनाम हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्वा) फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण व अप्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेशचन्द जोशी द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत में विद्वा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

